म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/सी.आर./परिपत्र/2817 भोपाल दिनांक 22/04/14

:: परिपत्र ::

यह ध्यान में आया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली में संबंधित अधिकारियों के द्वारा समयावधि में मतांकन नहीं किया जा रहा है। अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली में मतांकन समयावधि में नहीं किये जाने के कारण अधिकारी/कर्मचारियों की परिवीक्षा समाप्ति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान, स्थायीकरण आदि विषयों में विलम्ब होता है, और मतांकन अधिकारी के प्रतिनियुक्ति से पैतृक विभाग में वापस जाने अथवा सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में गोपनीय चरित्रावली में अधिनस्त कर्मी के कार्य के आंकलन में कठिनाई आती है।

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 45 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार सेवा के समस्त सदस्यों के लिये म. प्र. शासन द्वारा उसके अधिकारी/कर्मचारियों हेतु निर्धारित प्रकिया तथा निर्देशों के अनुरूप गोपनीय चरित्रावली प्रतिवेदन तैयार किया जाना निर्धारित है। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक एफ 5–1/98/9/एक दिनांक 17.04.1998 एवं दिनांक 13.01.1999 के अनुसार गोपनीय चरित्रावली लिखने के लिये स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (सेल्फ असेसमेंट) प्रस्तुत करने एवं विभिन्न स्तरों पर गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के लिये निम्नानुसार समय–सीमा/मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये है :–

1–	सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि	30 अप्रेल
2–	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	15 मई
3–	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	31 मई
4–	स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	15 जून

प्रत्येक प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा कि सभी अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार समय–सीमा में लिखे जाकर उच्च अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये है। यदि किसी अधिकारी का स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हो, तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अधिकारी का सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त न होने का उल्लेख करते हुए स्वयं का मतांकन निर्धारित समयावधि में कर दिया जाना चाहिये।

प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2013–14 के साथ ही भविष्य में अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली में मतांकन उपरोक्त निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी द्वारा उनके अधीन कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय चरित्रावली में मतांकन निर्धारित समयावधि में किया जाकर यथास्थान प्रेषित नहीं करने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाकर पालन प्रतिवेदन एवं संलग्न प्रपत्र में प्रमाण पत्र 10 मई तक अनिवार्यतः प्रेषित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(महेन्द्र ज्ञानी)
प्रबंध संचालक
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / सी.आर. / परिपत्र / 2818 भोपाल दिनांक 22 / 04 / 14

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक माननीय कृषि मंत्री सह अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक / संयुक्त संचालक / मुख्य अभियंता / अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक / उप संचालक / कार्यपालन यंत्री / सहायक संचालक / सहायक यंत्री (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / सागर / जबलपुर / रीवा / ग्वालियर।
5. अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)..........
6 लेखाधिकारी / सहायक संचालक / अनुभाग अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
7. सूचना पटल / आदेश नस्ती

सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

(कृ) प्रमाण पत्र

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिपत्र क्रमांक/2817-18
प्रमाण-संलग्न दिनांक 22-4-2014

प्रारूप

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/ भोपाल दिनांक /04/14

प्रमाण पत्र

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के अधीन कार्यरत कुल .... अधिकारी/कर्मचारियों के (राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/प्रतिनियुक्ति) वर्ष 2013–2014 के गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन मेरे द्वारा दिनांक .... को करते हुए प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष .... में अधोहस्ताक्षरी के अधीन कार्यरत अब किसी अधिकारी/कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन किया जाना शेष नहीं है।

प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता
अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम
कार्यालय का नाम
मुद्रा